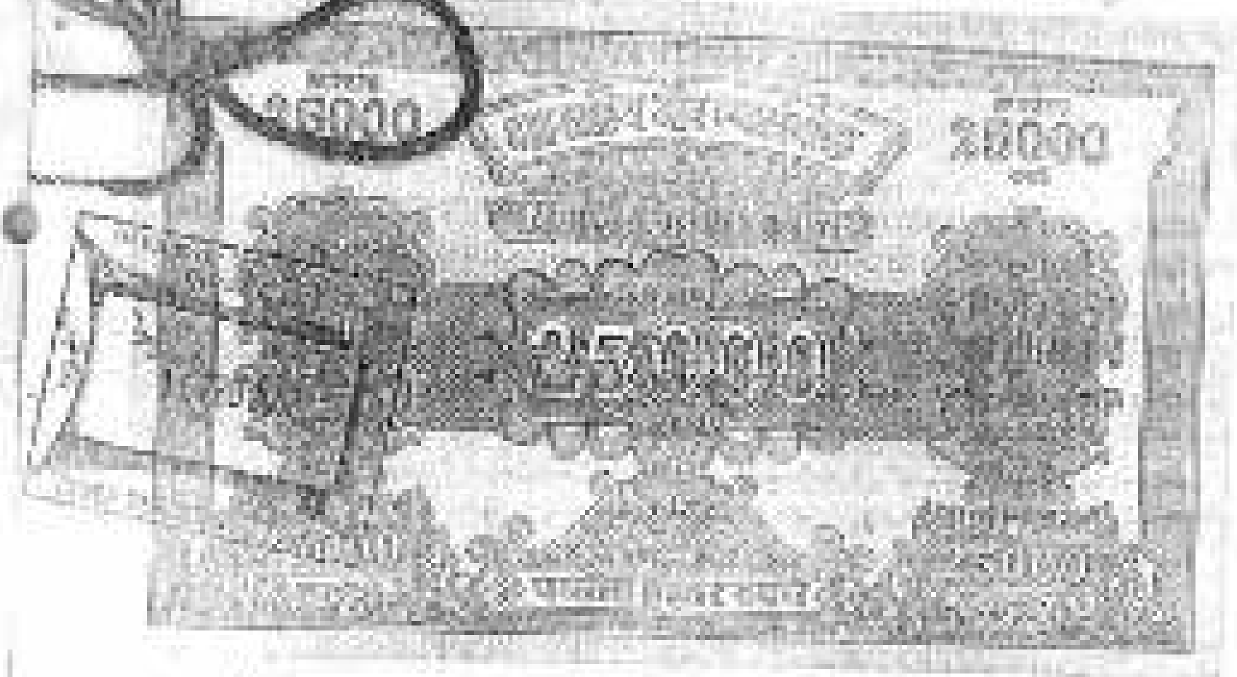

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 572140

1

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. वार्ड/परगना : लोनी
3. मौजा/ग्राम : नूरनगर
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) :- ग्राम नूरनगर परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद में सम्मिलित खसरा नम्बर-300[illegible], खतौनी नम्बर-[illegible]
5. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्ग मीटर) : हैक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.2270 हैक्टेयर
7. प्रतिफल की धनराशि 25,30,000/- रूपये

[signature]

M/s [illegible] PVT. LTD.

[signature]

DIRECTOR

CASHIER
TREASURY GHAZIABAD

उप निबन्धक द्वितीय
गाजियाबाद

उप निबन्धक द्वितीय
गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 612137

क्रेता का विवरण :-

मैसर्स [illegible] प्रा० लि० रजिस्टर्ड कार्यालय ए-12, डी-2, विश्वास नगर, दिल्ली द्वारा श्री [illegible] कुमार गुप्ता पुत्र श्री [illegible] निवासी ए-12, डी-2, विश्वास नगर, दिल्ली [illegible]

विक्रेता का विवरण :-

मैसर्स [illegible] लिमिटेड [illegible] 10, [illegible] दिल्ली द्वारा [illegible] श्री [illegible] कुमार गुप्ता पुत्र श्री [illegible]

[illegible]

For ALKAMA [illegible] LTD.

DIRECTOR

Page

Registration No. [illegible] Year: 2008 Book No. 1

[illegible]

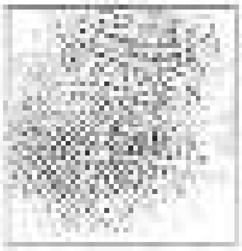

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

612130

2

विक्रय पत्र अंकन–25,00,000/– रुपये

स्टाम्प अंकन–3,37,500/– रुपये

विक्रय भूमि का विवरण–

रकबी 0.2270 हेक्टेयर भूमि स्थित ग्राम [illegible] परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद। जिसका पूर्व में कोई इकरारनामा मुख्तारनामा पंजीकृत नहीं किया गया है। विक्रय भूमि कृषि है। कृषि हेतु विक्रय की है। विक्रय भूमि ग्राम समाज व पट्टे व भूदान की नहीं है। विक्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति से नहीं है। विक्रय भूमि के 200 मीटर की त्रिज्या तक कृषि भूमि है।

For AJANTA FARMS & SERVICES LTD.

DIRECTOR

क्रेता

Registration No.: 1030 Year: 2018 Book No.: 1

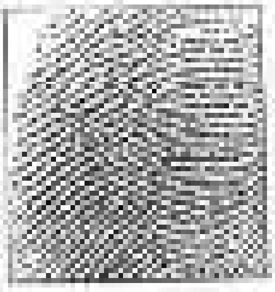

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 612137

एवं कि मैसर्स [illegible] अपार्टमेन्ट्स प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड ऑफिस ए-12, जी-2, [illegible] गार्डन, दिल्ली द्वारा श्री योगेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री [illegible] गुप्ता निवासी ए-12, जी-2, [illegible] गार्डन, उनके नामित अधिकृत तथा कम्पनी, द्वारा पत्र विक्रेता।

जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक [illegible] को पारित हुआ है।

इस विक्रय पत्र में विक्रेता के समस्त उत्तराधिकारीगण, वैधानिक, स्थायिक प्रतिनिधिगण एवं स्थानापन्न सम्मिलित समझे जायेंगे।

For AIMARA FARMS & SERVICES (P) LTD.

DIRECTOR

V. K. [illegible]

TEHSIL [illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

612136

2

मैसर्स अजनारा फार्म्स एण्ड सर्विसेज लि० रजि० एवं कारपोरेट ऑफिस 602, पाँचवी मंजिल, समतेला टावर, प्लाट नम्बर 17, कड़कड़डूमा कम्यूनिटी सेंटर, दिल्ली द्वारा डायरेक्टर श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र श्री जे० पी० गुप्ता, द्वितीय पक्ष क्रेता।

जिसका रेजोल्यूशन दिनांक 12/12/2005 को पारित हुआ है

For AJNARA FARMS & SERVICES LTD.

DIRECTOR

V.K.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विदित हो कि ग्राम नूरनगर परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद में स्थित खाता नम्बर–00365 खसरा नम्बर–978 रकबई 0.2270 हैक्टेयर का प्रथम पक्ष [illegible] श्री विष्णु स्वरूप शर्मा (एच0 यू0 एफ0) पुत्र

For AANARA FARMS & SERVICES LTD.

DIRECTOR

612134

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

श्री [illegible] निवासी [illegible], गाजियाबाद के द्वारा [illegible] [illegible] पृष्ठ 204/222 [illegible] है। जिसका पंजीकरण बही नं० 1 जिल्द [illegible] कार्यालय उप रजिस्ट्रार द्वितीय, गाजियाबाद में क्र० 2045 पर दिनांक 15/05/2007 को [illegible]

For AJNARA FARMS & SERVICES LTD.

Director

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 612133

में दर्ज होता चुका है। तथा किशु स्वरूप शर्मा (एच0 यू0 एफ0) ने उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि को विक्रय पत्र के द्वारा श्रीमति शकुन्तला देवी एवं श्रीमति कृष्णा देवी पुत्री श्री बालमुकुन्द निवासीगण ग्राम नूरनगर परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद से

For AJNARA FARMS & SERVICES LTD.

Director

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 612132

2

दिनांक 08/06/2026 को जिसकी पंजीकृत बही नं0 1 जिल्द 2421 के पृष्ठ 20/20
[illegible] 08/06/2026 [illegible] कार्यालय [illegible]

For AJNARA FARMS & SERVICES LTD.

DIRECTOR

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

612131

III

गाजियाबाद में दर्ज होकर हुई है खरीद किया है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि आज दिन तक विक्रेता की ओर से हर प्रकार के बोझ भार सरकारी देनदारी व अन्य लेन

For A.NAJA FARMS & SERVICES LTD.

Director

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

612130

11

जमानत आदि जारी से मुक्त है। कहीं अन्य जगह गिरवी, रहन, बैंक, डिग्री, महाजन धन आदि से ग्रस्त नहीं है। विलेखित प्रश्नगत विक्रेता में किसी प्रकार का कोई दोष व त्रुटि

For ARUNA FARMS & [illegible] LTD.

DIRECTOR

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

612129

12

नहीं है. विक्रय भूमि के विषय में किसी भी न्यायालय कार्यालय एवं किसी विभाग में कोई भी वाद विवाद निर्णय हेतु अवशेष नहीं है। इस प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। अतः कम्पनी ने अपनी खुशी व रजामन्दी शुद्ध बुद्धि स्वस्थ इन्द्रियों से बिना किसी बहकावा व

Jyoti Kumar Singh

For AMASA FARMS & SERVICES LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 670381

11

उपकार से प्रभावित होते हुए उक्त भूमि की मय तमामी हकूक मालकाना काश्तकारी व सकरी हैर मिल्न मये कब्जा आदि आदि से आज की तारीख में बदले अंकन–25,00,000/– रुपये (पच्चीस लाख रुपये), आधे जिसके अंकन 12,50,000/– रुपये होते हैं, में अपना

For AJNARA FARMS & SERVICES LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 410382

14

[illegible]

For [illegible] FARMS & SERVICES LTD.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C [illegible]

13

से प्रथम पक्ष विक्रेता व वर्तमान विक्रेता का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का बाकी नहीं रह है और न ही रहेगा। कब्जा मौके पर विक्रय भूमि पर द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी का वास्तविक रूप से करा दिये [illegible] [illegible] कर दिया है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

For [illegible] FARMS & SERVICES LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 511061

16

स्वामिनी हो गयी है। उनका सर्वथा अधिकार है कि विक्रय भूमि को जिस प्रकार चाहें औद्योगिक व्यवसायिक प्रयोग में लावें लाभ उठावें, काश्त करें, विक्रय करें, कुछ उजर नहीं होगा। यदि विक्रय भूमि पर आज दिन तक प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से किसी प्रकार

For [illegible] LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

For AAMRA FARMS & SERVICES LTD.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible]

[illegible]

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

13 FEB 2008

Rs. 5000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 607773

[illegible]

FOR A.PNAVA ... & SERVICES LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH H 186371

22

[illegible]

[illegible]

[illegible] LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 186372

21

[illegible]

[illegible] कम्पनी ने [illegible] कम्पनी से बाबत-[illegible]/- रुपये का चैक नं. [illegible] दिनांक [illegible]/[illegible]/2008 जो कि [illegible] बैंक, [illegible] दिल्ली पर देय है के द्वारा [illegible] कर दिया है। [illegible]

[illegible]

For [illegible] & [illegible] LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 186373

Ramesh Kumar

नाम:- S/o Sh. Raj Pal Singh

R/o C-447, ... Ghaziabad

For ... FARMS & SERVICES LTD.

DIRECTOR

SITE PLAN OF LAND IN KH. No. 978 SITUATED AT VILLAGE NOOR NAGAR, PARG. LONI TEHSIL GHAZIABAD

KH. No. 978

AREA 0.2250 HTY

SELLER

PURCHASER

Vinod K. Jain
[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 186374

21

SUNIL MOHAN GUPTA
S/o SH. HARI SHANKER GUPTA

FOR AJOONY FARMS & SERVICES LTD.

DIRECTOR

PHOTOGRAPH OF THE PROPERTY
FULL FRONT SIDE

For AAVARA FARMS & SERVICES LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

13 FEB 2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 186377

24

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

For AJMARA FARMS & SERVICES LTD.

DIRECTOR

दिनांक 15/02/2008 मसौदा वी० के० गौतम, एडवोकेट, चै० नं० 21 लायर्स चैम्बर, तहसील कम्पाउण्ड, गाजियाबाद।

आज दिनांक **15/02/2008** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **3614**

पृष्ठ सं. **47** से **72** पर क्रमांक **1090**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

उप निबंधक द्वितीय

गाजियाबाद

15/02/2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 336455

<u>लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण</u>

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. वार्ड/परगना : लोनी
3. मौहल्ला/ग्राम : नूरनगर
4. सम्पत्ति का विवरण(सम्पत्ति गत) : ग्राम नूरनगर परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद मे सम्बन्धित खाता नम्बर-00095 खसरा नम्बर-918
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्गमीटर): हैक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 0.2270 हैक्टेयर
7. प्रतिफल की धनराशि- 16,85,000/- रुपये

15 MAR 2021

पंजीकरण

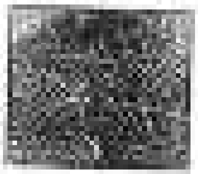

प्रभारी
उप निबंधक (द्वितीय)
गाजियाबाद
15/3/2021

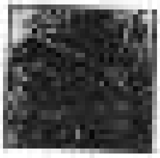

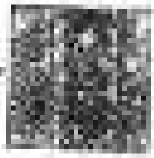

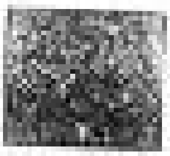

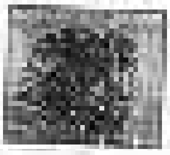

प्रभारी
उप निबंधक (द्वितीय)
गाजियाबाद
15/3/2021

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

356454

(2)

विक्रेता का विवरण:-

रिंकू [illegible] शर्मा (एच०यू०एफ०) पुत्र श्री [illegible] शर्मा निवासी ई-226, [illegible] [illegible],

गाजियाबाद

क्रेता का विवरण:-

मैसर्स [illegible] [illegible] प्रा० लि० [illegible] ऑफिस ए-12, जी-2 शिवालिक मालवीय

दिल्ली द्वारा श्री [illegible] कुमार गुप्ता पुत्र श्री [illegible] लाल गुप्ता निवासी ए-12, जी-2

शिवालिक मालवीय दिल्ली [illegible] अधिकृत [illegible] कम्पनी।

[illegible]

Registration No. [illegible]   Year : 2021   Book No. [illegible]

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

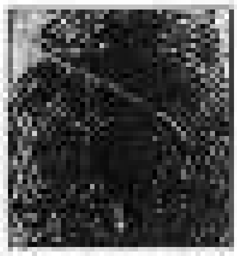

356433

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

विक्रय पत्र अंकन 16,85,000/- रुपये

स्टाम्प अंकन 1,68,500/- रुपये

विक्रय भूमि का विवरण– [illegible] 0.2230 हेक्टेयर भूमि स्थित ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील व जिला गाजियाबाद। विक्रय भूमि न कोई [illegible] नहीं किया गया है। [illegible]

[illegible]

Registration No. [illegible] Year [illegible] Book No. [illegible]

[illegible]

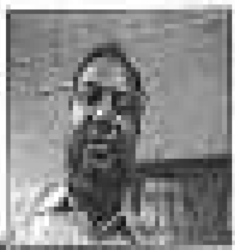

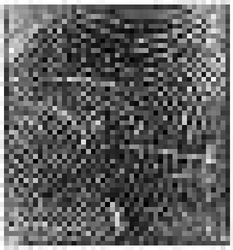

356452

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(४)

भूमि कृषि भूमि है । भूमि हेतु विक्रय की है । विक्रय भूमि राज्य सरकार व पट्टे व भूदान की नहीं है । विक्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति के नहीं है । विक्रय भूमि से 200 मीटर किनारा तक कृषि भूमि है ।

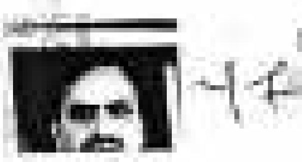

256453

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

एवं श्री हिमांशु [illegible] शर्मा ([illegible]) पुत्र श्री [illegible] शर्मा निवासी ई–226, [illegible]

[illegible], गाजियाबाद उत्तर प्रदेश विक्रेता ।

इस विक्रय पत्र में विक्रेता के समस्त उत्तराधिकारीगण, वैधानिक, न्यायिक प्रतिनिधिगण एवं

[illegible] सम्मिलित समझे जायेंगे ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

797027

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(1)

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 797028

विदित हो कि ग्राम [illegible] तहसील व जिला गाजियाबाद में [illegible] खाता

संख्या-00093 खसरा नम्बर-478 रकबई 0.2230 हैक्टेयर का [illegible]

[illegible] भूमिधर है । उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि को [illegible]

[illegible]

[illegible] तहसील व जिला गाजियाबाद के दिनांक [illegible]-2008

[signature] [signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

797029

ई0 को जिसकी पंजीकृत बही नम्बर–1 जिल्द 2421 के पृष्ठ 20/20 से नम्बर–5700 पर दिनांक 08–08–2006 ई0 को कार्यालय उप निबन्धक–द्वितीय गाजियाबाद में दर्ज होकर हुई है खरीद लिया है । उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि आज दिन तक विक्रेता की ओर से हर प्रकार के बाधक भार कानूनी बेबाकी व अन्य लीन एक्वायर आदि आदि से मुक्त है । यदि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000
पाँच हजार रुपये

Rs.5000
FIVE THOUSAND RUPEES

795266

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अन्य लगान ऋण, बन्धक, कर, डिक्री, महाजनी आदि भार से ग्रस्त नहीं है। विक्रेतागण द्वारा यह विक्रय में किसी प्रकार का कोई दोष व त्रुटि नहीं है. विक्रय भूमि के विषय में किसी भी न्यायालय अथवा प्राधिकरण एवं किसी विभाग में कोई भी वाद विवाद निर्णय हेतु लम्बित नहीं है। इस प्रकार से वाद विवाद से मुक्त है। कोई वैधानिक व अवैधानिक आपत्ति विवाद करने में नहीं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

798267

(10)

है । अतः मैंने अपनी खुशी व रजामन्दी स्वस्थ बुद्धि स्वस्थ इन्द्रियों के बिना किसी बहकावा व दबावा के प्रभावित होते हुए उक्त भूमि को मय समस्त हकूक मालकाना सायबानी व सायमी हर किस्म मय कब्जा आदि आदि के आज की तारीख में बदले अंकन 16,85,000/- रुपये (सोलह लाख पिच्यासी हजार रुपये) अर्ध जिसका अंकन 8,42,500/- रुपये होते हैं मैं हाथ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 799265

(11)

द्वितीय पक्ष उक्त लेखा कम्पनी के पक्ष करार्इ कर दिया और अपना सम्पूर्ण भाग बेच दिया और कुल धनराशि लेखा कम्पनी से निम्न प्रकार प्राप्त कर ली है । कुछ बाकी नहीं रहा है । अब इकरार पत्र है कि विक्रय भूमि की मिल्कियत व उसके मुआवजा तथा किसी अंश से प्रथम पक्ष विक्रेता व वारसान विक्रेता का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा है और न उनी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

737553

होगा । [illegible] विक्रय भूमि पर द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी का वास्तविक रूप से [illegible] [illegible] करा दिया है । विक्रेता क्रेता कम्पनी पूर्ण स्वामिनी बन गयी है । उसको अधिकार है कि विक्रय भूमि को जिस प्रकार चाहे [illegible] प्रयोग में लावे, [illegible] करे, विक्रय करे, कुछ उज्र नहीं होगा । यदि विक्रय भूमि पर आगे दिन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

737334

एक प्रथम पक्ष विक्रेता की ओर से किसी प्रकार का कोई भार निकल और निकला हुआ भार डीह कम्पनी को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा प्रथम पक्ष विक्रेता के उत्तराधिकार के व कारदार विक्रेता की कार्यवाही आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा अंशतः कोई अंश द्वितीय पक्ष डीह कम्पनी के कब्जे दखल से निकल जावेगी तो इस ऐसी दशा में उपस्थित होने पर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 792390

द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने नाम से [illegible]
कब्जे में विक्रय [illegible] भूमि की [illegible] न्यायालय द्वारा [illegible]
अपने विक्रेता व वर्तमान विक्रेता की [illegible] सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे [illegible]
ले । [illegible] इस विक्रय पत्र के आधार पर [illegible]
कर ले । जहाँ कहीं भी इस विक्रयपत्र के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होगी मैं सहर्ष [illegible]

[signature] [signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 792391

कम्पनी कोम्पा नहीं है । कलेक्टर द्वारा भूमि की निर्धारित दर 35,00,000/- रुपये प्रति एकड़ है विक्रय पत्र का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष क्रेता कम्पनी ने वहन किया है । विक्रय भूमि का कार्यस्थल इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न है ।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे सनद ।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 792392

(16)

[illegible] –

[illegible] 5,00,000/– रूपये का चैक [illegible]-015167 दिनांक

[illegible]-02-2007 एवं अंकन 5,00,000/– रूपये का चैक नम्बर-015168 दिनांक [illegible]-02-2007

[illegible] एवं अंकन 6,80,000/– रूपये का [illegible]

SITE PLAN OF ... LAND ...

SITUATED IN VILLAGE - NOOR NAGAR ...

TEH. & DISTT- GHAZIABAD (U.P.)

MANOJ SHARMA

ARCHITECT ...

500 Rs

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

(17)

चैक नम्बर–699826 दिनांक 15–03–2007 पंजाब नेशनल बैंक कौशाम्बी गाजियाबाद के है

पेशगी वसूल पा लिये है। ह0

गवाह–1

गवाह–2

दिनांक 15-03-2007 ई0 मसौदा कृष्ण कुमार शर्मा, एडवोकेट, चैम्बर नम्बर-46

तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद ।

15 Mar 2017

आज दिनांक 15/03/2017 को

बही सं 1 जिल्द सं 2718

पृष्ठ सं 284 से 322 पर क्रमांक 2045

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

प्रभारी
उप निबंधक (द्वितीय)
गाजियाबाद
15/03/2017

उप निबंधक द्वितीय गाजियाबाद * उत्तर प्रदेश *

5000Rs

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

025623

विक्रय पत्र अंकन-4,00,000/- रुपये का.
स्टाम्प अंकन-40,000/-रुपये का.

विक्रय कृषि भूमि का विवरण-

कृषि भूमि खाता संख्या-00085 के खसरा नम्बर-474, रकबई-0.2270 हैक्टेयर जो विक्रय है। स्थित ग्राम नूरनगर, परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद। भूमि की सरकारी दर-7,00,000/-रुपये प्रति एकड़ यानि 4,37,500/-रुपये प्रति बीघा पुख्ता। अतः पाया भाव व कीमत उपरोक्त सही है। विक्रय कीमत पर स्टाम्प दिया गया है। उक्त कृषि भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 1 किलो मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है यानि किसी सड़क पर स्थित नहीं है। उक्त विक्रय भूमि के चारों तरफ 200 मीटर से भी अधिक दूरी तक कृषि की भूमि है। कोई आबादी कालोनी व नजदीक कैनाल से सटा संलग्न है। विक्रेता जनजाति व अनुसूचित जाति से नहीं है। तथा दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा महायदाया पंजीकृत नहीं हुआ है।

५४ ... 11.5.06

[illegible] सुरेन्द्र कुमार शर्मा [illegible]

[illegible]

[illegible] ५००००० /-

1000/- ... 201 ... 50000

1200

विष्णु प्रकाश गर्ग

[illegible] गर्ग

[illegible]

8/5/06

[illegible]

५०००००/- [illegible]

[illegible]

विष्णु प्रकाश गर्ग [illegible]

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु. R$ 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

-3- 825630

इस कि श्रीमती शकुन्तला देवी व श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री बालमुकन्द निवासीगण ग्राम [illegible] कस्बा लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद —— कर्ता विक्रेतागण।

एवं

श्री विष्णु स्वरूप शर्मा (एचयूएफ) पुत्र श्री [illegible] शर्मा निवासी E-228, पटेल नगर [illegible], गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद —— कर्ता क्रेता।

इस विक्रय पत्र में विक्रेतागण के समस्त उत्तराधिकारीगण व वैधानिक प्रतिनिधिगण व [illegible] सम्मिलित समझे जायेंगे।

शकुन्तला कृष्णा [signature]

[illegible] .... [illegible] इकरार [illegible]

[illegible]

[illegible]

01/5/06

सत्यमेव जयते

[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.　　　Rs 5000

भारत

पांच हजार रुपये　FIVE THOUSAND RUPEES

-3-　　　628164

विदित हो कि हम पक्षीक अव्वलगण स्थित ग्राम नूरनगर, परगना लोनी, तहसील व जिला गाजियाबाद में कृषि भूमि खाता संख्या-[illegible] के खसरा नम्बर-[illegible], रकबई-0.2270 हैक्टेयर के संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज हैं। तथा हम पक्षीक अव्वल विक्रेतागण को अपनी उक्त खाते की सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तथा हम पक्षीक अव्वल विक्रेतागण की उक्त भूमि आज दिन तक हर प्रकार के भार जिनतक अब्र,रहन,बय, हिबे महाजनान बैंक लोन कर्जा सोसायटी आदि आदि से पाक व साफ है कहीं पर किसी प्रकार फसा नहीं है। विक्रय कृषि भूमि खेती की है खेती

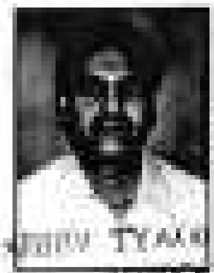

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

- 5 MAY [illegible]

028704

हेतु विक्रय की जा रही है तथा उक्त भूमि पट्टे, मुहाल, सीलिंग व वक्फ आदि की नहीं है। अतः हम फरीक अव्वल विक्रेतागण ने अपनी खुशी, रजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों द्वारा उक्त कृषि भूमि की जोत को मय सम्पूर्ण अधिकार मालकाना दाखिल व खारिज हक विक्रय बदस्त कब्जा मार्फत जो कुछ भी अधिकार हम फरीक अव्वल विक्रेतागण को उक्त भूमि की बाबत प्राप्त है मय समस्त अधिकारों सहित के साथ की तामीर के बदले अंकन-4,00,000/-रूपये [चार लाख रूपये] आधे जिसके अंकन-2,00,000/- रूपये

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

-5 MAY 20..

-4-

025730

होते हैं, मैं हम क्रेता फरीक दोयम उपरोक्त को विक्रय करदी कर दी जाति बेच दी, और समस्त अपना कुल रकमा इस विक्रयपत्र मे क्रेता नकद पेशगी प्राप्त कर लिये है। उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा इस फरीक अव्वल विक्रेतागण ने क्रेता का उक्त भूमि पर वास्तविक व दाखिलाय करा के कर दिया है। अब क्रेता जिस प्रकार चाहे अपने प्रयोग में लावे, कृषि करें, विक्रय करें, हस्तान्तरण महाप्रबन्ध करें, किसी भी बैंक आदि ऋण प्राप्त करें,

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. R 5000

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

-5 MAY 2003

028756

दाखिल खारिज क्रेता अपने नाम इस विक्रय पत्र के आधार पर करा सकते हैं, जहां कहीं भी पुनः विक्रेता के हस्ताक्षर व रजामंदी की आवश्यकता होगी, हम विक्रेता अथवा विक्रेतागण सहर्ष करेंगे कुछ उजर न होगा। यदि विक्रेता व वारसान विक्रेता के किसी अनधिकार के कारण अथवा किसी कानून व सरकार कि कार्यवाही के कारण विक्रय भूमि का कुल या कुछ भाग कब्जे क्रेता के निकल जायेगी तो ऐसी दशा में क्रेता को अधिकार

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. R$ 5000

भारत

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

-7-

25631

होगा कि अपनी जेब की हुई कुल कीमत कुल मय सूद हर्जा खर्चा सहित विक्रेतागण व वारसान विक्रेतागण से जिस प्रकार चाहे वसूल प्राप्त कर लें कुछ उजर न होगा। यह विक्रय पत्र दोनों पक्षों के कहने अनुसार तहरीर किया गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी विक्रेतागण एवं क्रेता की होगी। विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है। उक्त खसरे विक्रेतागण ने अपनी सम्पूर्ण भूमि बहक क्रेता को विक्रय की है।

SHARMA CONSTRUCTION

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

गवाह 1:- [illegible]

गवाह 2:- [illegible]

दिनांक–08/05/2008 ई0 मसौदा संजीव त्यागी एडवोकेट, चैम्बर नम्बर–67, कलेक्ट्रेट कम्पाउन्ड गाजियाबाद।

SANJEEV TYAGI
ADVOCATE

– 6 MAY 2006

29431 20 28 5500

8/3/06